क्रम-संख्या--536

(5)

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 561

लाइसन्स नं० डब्लू० पी०-11

लाइसन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 1 अगस्त, 1995

श्रावण 10, 1917 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1413/रूलह-वि-1--1 (क) 25-95

लखनऊ, 1 अगस्त, 1995

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1995 पर दिनांक 31 जुलाई, 1995 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1995 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1995

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1995)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, अवधि और अपवाद

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1995 कहा जायगा।

(2) यह 31 मार्च, 1995 को प्रारम्भ हुआ समझा जायगा।

(3) यह अपने प्रारम्भ से सात माह की अवधि पर्यन्त प्रवृत्त रहेगा किन्तु इस उपधारा की क्रिया के अधीन इसके अवसान के कारण निम्नलिखित पर प्रभाव नहीं पड़ेगा :—

(क) इस अधिनियम के पूर्व प्रवर्तन पर या उसके अधीन सम्यक् रूप से की गयी या सहन की गई किसी बात पर, या

(ख) इस अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 1950 की धारा 4 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 में, उपधारा (12) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा जोड़ दी जायगी, अर्थात् :—

"(13) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1995 के प्रारम्भ होने पर राज्य सरकार राज्य की संचित निधि से चार सौ करोड़ रुपये की और धनराशि निकालेगी और उसे इस निधि में जमा कर देगी।"

निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1995 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा-संशोधित मूल अधिनियम के अधीन हुत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा-संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन हुत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के प्राविधान सभी तात्त्विक समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
नरेन्द्र कुमार नारंग,
प्रमुख सचिव।

No. 1413 (2)/XVII-V-1—1-(KA) 25-95

Dated Lucknow, August 1, 1995

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Aakasmikta Nidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 1995 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 13 of 1995) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on July 31, 1995 :

THE UTTAR PRADESH CONTINGENCY FUND (AMENDMENT) ACT, 1995

(U. P. ACT No. 13 OF 1995)

[AS passed by the Uttar Pradesh Legislative]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Contingency Fund Act, 1950.

Short title, commencement, duration and savings

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Contingency Fund (Amendment) Act, 1995.

(2) It shall be deemed to have come into force on March 31, 1995.

(3) It shall remain in force for a period of seven months from the date of its commencement but its expiry under the operation of this sub-section shall not affect : —

(*a*) the previous operation of, or anything duly done or suffered under this Act, or

(*b*) any right, privilege, obligation, or liability acquired, accrued or incurred under this Act.

Amendment of section 4 of U.P. Act no. XIX of 1950

2. In section 4 of the Uttar Pradesh Contingency Fund Act, 1950, hereinafter referred to as the principal Act, *after* sub-section (12), the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(13) The State Government shall on the commencement of the Uttar Pradesh Contingency Fund (Amendment) Act, 1995 withdraw a further sum of four hundred crores of rupees out of the Consolidated Fund of the State and place the same to the credit of the Fund.".

Repeal and savings

U.P. Ordinance no. 18 of 1995

3. (1) The Uttar Pradesh Contingency Fund (Amendment) Ordinance, 1995 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
N. K. NARANG,
Pramukh Sachiv.

एस० यू० पी०-ए० पी०- 164 सा० विधा०-(2343)-1995-850 (मेके०)।